


27.09.2022:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील प्रार्थी उपस्थित नही आये। प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर  
उपस्थिति अधिकारी  
हनुमानगढ़